संख्या : 1197 / III(2)/07–75(सामान्य)/2000

प्रेषक,

डॉ. एस.एस.सन्धु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक : फरवरी 24 :2014

विषय :– लोक निर्माण विभाग में कार्यों के समयबद्ध सम्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निविदा प्रणाली में संशोधन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2611 / III(2)/07–75(सामान्य)/2000, दिनांक 26 अक्टूबर, 2007 एवं तदोपरान्त संगत अन्य निर्गत शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निविदा प्रकिया के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता के माध्यम से क्षमता संवर्धन, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रचलित निविदा प्रणाली के कतिपय प्राविधानों में निम्नवत् संशोधन किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) **चयनित अनुबन्ध (Selection Bond) की व्यवस्था :**
अपरिहार्य परिस्थितियों में खण्ड के अधिशासी अभियन्ता पूर्व निर्गत सीमा ₹ 10.00 लाख के स्थान पर ₹ 15.00 लाख लागत तक के कार्य हेतु चयनित अनुबन्ध कर सकेंगे।

(2) **ई–निविदा की सीमा :**
ई–निविदा एवं टू–बिड सिस्टम (E-Tendering & Two Bid System) के अनुसार निविदा ₹ 1.50 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों के सम्बन्ध में ही की जायेगी।

(3) **टर्न ओवर (Turn Over) हेतु मानदण्ड :**
निविदादाता का टर्न ओवर, निविदा से सम्बन्धित कार्य की लागत का 50 प्रतिशत होना अनिवार्य होगा।

(4) **कार्यानुभव हेतु मानदण्ड :**
निविदादाता द्वारा विगत 5 वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में, दी जा रही निविदा की राशि के 25 प्रतिशत तक के कार्य को पूर्ण करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।

(5) **एक से अधिक कार्यों के पैकेज (Package) बनाया जाना :**
यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक कार्यों के पैकेज बनाने हेतु उतने ही कार्य लिए जायेंगे जिनकी कुल लागत ₹ 1.50 करोड़ से अनधिक हो। ₹ 1.50 करोड़ से अधिक लागत के ऐसे कार्यों, जिनकी ई–निविदा एवं टू बिड सिस्टम में निविदा होनी आवश्यक हो, को मिलाकर पैकेज अपरिहार्य परिस्थितियों में बनाया जायेगा। पैकेज बनाने या न बनाने का निर्णय सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए विवेकपूर्ण तरीके से लिया जायेगा।

(6) **ठेकेदारों का वर्गीकरण एवं पंजीकरण :**
ठेकेदारों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत एवं पंजीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी :–

(अ) श्रेणी–ए : ठेकेदार किसी भी सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(ब) श्रेणी–बी : ठेकेदार ₹ 2.00 करोड़ से अनधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(स) श्रेणी–सी : ठेकेदार ₹ 1.00 करोड़ से अनधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(द) श्रेणी–डी : ठेकेदार ₹ 50.00 लाख से अनधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(7) कार्यों की निविदा में भाग–1 व भाग–2 के कार्यों का भिन्न–भिन्न अनुभव :

₹ 1.50 करोड़ तक की सीमा के कार्यों के लिए अनुभव प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी और ₹ 1.50 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों की निविदा में ही भाग–1 व भाग–2 के कार्यों का भिन्न–भिन्न अनुभव होना आवश्यक होगा।

(8) परफारमेंस सिक्योरिटी (Performance Security):

₹ 1.50 करोड़ तक के कार्य हेतु 2 प्रतिशत परफारमेंस सिक्योरिटी तथा ₹ 1.50 करोड़ से अधिक लागत के कार्य हेतु पूर्ववत् 5 प्रतिशत परफारमेंस सिक्योरिटी ली जायेगी तथा अवशेष सिक्योरिटी मनी चालू देयकों से समायोजित की जायेगी।

3. उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। विषयगत पूर्व निर्गत शासनादेशों के संगत प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे और शेष प्राविधान पूर्ववत् लागू रहेंगे। अतः कृपया उपरोक्त संशोधनों को समस्त अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(डॉ. एस.एस.सन्धु)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1197 / III(2)/07–75(सामान्य)/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव, वित्त के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्डशासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
7. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रेजरी), 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. लोक निर्माण अनुभाग–1,2,3, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
अपर सचिव, लो.नि.वि.

कृ० पृ० उ०